24 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा भूमि ख० नं० 2491/2 रकबा 8.67 है. किस्म चारागाह में से 0.05 में पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण किया जाना बताया है। अपीलान्ट का मुख्य कथन यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से

(अनिल कुमार)
कलक्टर
नीमकाथाना
Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.02 11:30:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पूर्व अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जो दिनांक 11.11.2016 को नोटिस जारी किया जिसमें 28-11-2016 को के लिए जारी किया था। पत्रावली में उपलब्ध नोटिस पर ना तो किसी प्रकार के स्पष्ट हस्ताक्षर है एवं ना ही तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट कि हुई है। इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलान्ट कि तामील प्रोपर नही हुई है एवं निर्णय पारित करने में शिघ्रता दिखाई जाना प्रतीत होता है। इसी के साथ सुनवाई बाबत पूर्ण अवसर भी नही दिया गया। पत्रावली में उपलब्ध इन्दिरा आवास योजना स्वीकृति आदेश की फोटो प्रति के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि इस योजना के तहत अपीलान्ट को राशि प्राप्त हुई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28-11-2016 को जो निर्णय पारित किया गया है जो केवल प्रोफार्मा में अलग से अंकन कर निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा बिजली का बिल भी पेश किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट के पिछे जो नजरी नक्शा बनाया है जिसमें चारो दिशाओं का माप भी अंकन नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है जिससे यह तो स्पष्ट रूप से साबित होता है कि निर्णय इसी पेशी पर ही पारित किया है। इससे यह स्पष्ट है कि निर्णय पारित करते समय रिकार्ड का गहनता से अवलोकन नही किया गया [illegible] सुनवाई का अवसर दिया [illegible] न्यायालय कि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में कई त्रुटिया पाई गई है।

(कुमार)
अ[illegible] कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.02 11:30:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया था जिसके अनुसार प्रोपर तामिल नहीं होने के बावजूद ही अपीलान्ट के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध है। बिना प्रोपर तामिल के एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना विधि विरुद्ध है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय कि पत्रावली में कई त्रुटियां पाई जाने से अपील अपीलान्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट साबित होने से स्वीकार की जाती है। तथा अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अजीतगढ़ के मु० न० 313/2016 उनवान सरकार बनाम हणमान में पारित आदेश दिनांक 28-11-2016 अपास्त किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट नायब तहसीलदार अजीतगढ़ को इस आदेश के साथ रिमाण्ड कि जाती है कि अपीलान्ट को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर दिया जावे एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया जाकर एवं मौके पर सही नाप जोख कि जाकर उपयुक्त निर्णय पुनः पारित किया जावें। निर्णय कि पालना हेतु नायब तहसीलदार अजीतगढ़ को तहरीर जारी कि जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.02 11:30:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner